



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2154 SEIAA/2022

Date: 25/11/22

प्रति,

M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd,
37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka,
A.B. Road, Dist. Indore (MP)


विषय: **Case No 9039/2022** : Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore, (MP) Total plot area 1,30,780.00 sq.m Proposed built-up area 56,156.00 sqm. by M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP.

राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण की 752वीं बैठक दिनांक 15.10.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....

परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही जारी की जा सकेगी।

1. उपचार योजना/पुनर्स्थापन योजना हेतु तीन साल की वैधता के साथ राशि रु. 11.75 लाख की बैंक गारंटी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करने के पश्चात्।
2. मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार परियोजना पर अधिरोपित अर्थदण्ड रु. 51,93,625/- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा करना होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र सहित अपने दिनांक 06.10.2022 के पत्र द्वारा दी गई जानकारी अनुसार रु. 102 करोड़ का व्यय आवेदन दिनांक 22.02.2022 तक किया जाना अवगत कराया गया है। जबकि पूर्व में दी गई जानकारी के साथ संलग्न चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट श्री मयंक जैन एवं PMKG Techno Management Consultancy LLP के इंजीनियर श्री प्रतीक के.आर. गुप्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्रों अनुसार आवेदन दिनांक तक परियोजना पर किये गये व्यय रु. 9.95 करोड़ दर्शाया गया था। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं परियोजना सलाहकार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये जिससे कि गलत प्रमाण पत्र जारी एवं प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णयानुसार बिंदु क्र. 01 से 03 तक की चाही गई जानकारी/स्पष्टीकरण संबंधितों को प्रस्तुत करने के उपरांत ही प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

8